INDIAN INSTITUTE OF CRAFTS & DESIGN

J-8, Jhalana Institutional Area, Jaipur-302 004 Rajasthan

मैस कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क : 400/– रुपये

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 29.10.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि 29.10.2025 को दोपहर 3.00 बजे

धरोहर राशि 50,000/– रुपये

1. निविदादाता फर्म का नाम ....
2. कार्यालय का नाम पता मय फोन नं. ....
3. संदर्भ : भारतीय शिल्प संस्थान की विज्ञप्ति दिनांक ....
4. निविदा हेतु धरोहर राशि रुपये .... डी.डी. नं. .... दिनांक .... का संलग्न है।
5. अनुवर्ष वर्ष .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. आयकर क्लियरेन्स, श्रम विभाग, पी.एफ., ई.एस.आई. का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. भारतीय शिल्प संस्थान में विद्यार्थियों अनुमानित संख्या (100–150 प्रतिदिन) हेतु नाश्ता, लंच व डिनर में ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली खाद्य सामग्री का साप्ताहिक विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

ना ता	लंच	डिनर
पराठा, दही, अचार, सीजनल फल दूध/चाय/कॉफी	अरहर दाल, मौसमी सब्जी, चपाती, बुंदी रायता, चावल, अचार, पापड़ सलाद	न्यूट्रला, सब्जी, चपाती, दही, अचार, पुलाव, सलाद
पाव भाजी, सीजनल फल दूध/चाय/कॉफी	राजमा, मौसमी सब्जी, रायता, चपाती, जीरा राइस, अचार, हरी चटनी, सलाद	दाल फ्राई, सब्जी, रोटी, दही, चावल, सलाद
इडली साँभर, चटनी, सीजनल फल दूध/चाय/कॉफी	कढी/दाल, सब्जी, पुलाव, रोटी, अचार, पापड, सलाद	कोफ्ता, सब्जी, रोटी, दही, अचार, पुलाव, स्वीट डिश, सलाद
ब्रेड एवं पोहा, सीजनल फल दूध/चाय/कॉफी	मसूर दाल, दम आलू, चावल, रोटी, रायता, अचार, पापड़, सलाद	मिक्स दाल, सब्जी, रोटी, दही, अचार, चावल, सलाद
आलू पुरी, सीजनल फल	चना सब्जी, रायता, चावल,	अरहर दाल, सब्जी, रोटी,

दूध / चाय / कॉफी	चपाती, अचार, टमाटर चटनी, सलाद	दही, पुलाव, अचार, सलाद
प्लेन पराठा, अचार, टमाटर चटनी, सीजनल फल दूध / चाय / कॉफी	साँभर, पीले चावल, रायता, सब्जी, चपाती, अचार, हरी चटनी, सलाद	मसूर दाल, दम आलू, रोटी, दही, चावल, सलाद
ब्रेड बटर एवं जेम, सीजनल फल दूध / चाय / कॉफी	दाल मखनी, शाही पनीर, चपाती, रायता / चायनीज / छोला भटुरा, पुलाव, रायता, स्वीट डिश, टमाटर चटनी, सलाद	मूंग दाल, पुलाव, रोटी, आलू दही, अचार, सलाद

नोट :— उपरोक्त सूची केवल उदाहरण के लिये है। वास्तविक समानान्तर मीनू में मैस कमेटी द्वारा समय—समय पर होने वाले बदलाव से ठेकेदार को अवगत करवा दिया जायेगा।

8. ठेका राशि (प्रति छात्र प्रति माह) :— राशि अंकों में ....
राशि शब्दों में ....

मैं यह सशपथ स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त खाद्य सामग्री हेतु रुपये .... अंके .... प्रति छात्र प्रति माह की दर से उपलब्ध कराऊँगा एवं खाने की गुणवत्ता तथा साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखूंगा।

मेरे द्वारा भारतीय शिल्प संस्थान द्वारा निर्धारित शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं इनकी पालना करने में पूर्णतया सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

तिथि :—
स्थान :—

मैस/केन्टीन हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को रुपये 50,000/– की धरोहर राशि डी.डी. Indian Institute of Crafts & Design, Jaipur के पक्ष में जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता को रुपये 400/– की निविदा फॉर्म राशि नकद अथवा डी.डी. Indian Institute of Crafts & Design, Jaipur के पक्ष में जमा करानी होगी। बिना निविदा फार्म राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता को कुल 1,00,000/– रुपये जमा कराने होंगे, जिसमें धरोहर राशि के रुपये को समायोजित किया जा सकता है।
4. निविदादाता को निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा जिस पर स्पष्ट रूप से निविदादाता का नाम, कार्य का नाम अंकित होना चाहिये।
5. निविदादाता को मैस कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव पत्र के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। शैक्षणिक संस्थानों में कार्य का अनुभव रखने वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. निविदादाता का वार्शिक टर्नओवर न्यूनतम **एक करोड़ रुपये** का होना चाहिए।
7. श्रम विभाग, आयकर विभाग एवं नगर निगम/खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा बनाये गये सभी नियमों का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। इस सम्बन्ध में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. अनुबंध पत्र स्वीकार होने के उपरान्त निविदा की शर्तों को 500/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित अनुबंध पत्र टंकित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदादाता छात्रावास परिसर में स्थित किचन, हॉल, स्टोर एवं डाईनिंग हॉल में पानी–बिजली का उपयोग कर सकेगा। ठेकेदार को बिजली के लिये मीटर रीडिंग के अनुसार प्रतिमाह राशि व पानी के लिये प्रति माह निश्चित राशि रुपये 2500/– द्वितीयपक्ष की लेखा शाखा में जमा कराने होंगे।
10. निविदादाता को रसाईघर (डाईनिंग एरिया के अतिरिक्त) संभलवाते समय सभी सामग्रियाँ यथा लाईट, पंखे, नल आदि चालू अवस्था में दिये जायेंगे, तदुपरान्त उनकी मरम्मत एवं रख–रखाव आदि की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
11. निविदादाता को छात्रावास परिसर में केवल मैस में प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं मैस में कार्य करने हेतु जो अन्य सहायक कर्मचारी होंगे उनके सम्बनध में नाम, पते, उम्र आदि सूचनाएं मय रंगीन फोटो के साथ संस्थान को लिखित में देनी

होगी। ये कर्मचारी संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश कर सकेंगे, बिना प्रवेश पत्र के वे मैस एवं मैस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो कर्मचारी मैस में कार्य करेंगे, वे अच्छे चरित्र के व साफ सुथरे होंगे और संस्थान द्वारा निर्धारित पोशाक में ही प्रवेश कर सकेंगे एवं संस्थान द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्णतया पालना करेंगे।

12. निविदादाता द्वारा मैस में नियोजित कर्मचारियों का राजस्थान पुलिस के नियमों की पालना करते हुए उनका चरित्र प्रमाण पत्र व रजिस्ट्रेशन/वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. निविदादाता व उसके कार्यकर्ता मैस परिसर को पूर्णतया साथ–सुथरा रखेंगे एवं इसमें किसी भी प्रकार की अभद्रता व ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे संस्थान के किसी कर्मचारी या किसी भी छात्र/छात्रा को कोई असुविधा हो।
14. संस्थान द्वारा एक डीप फ्रिज, रेफ्रिजरेटर व बोन मैरी एवं अन्य फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके रखरखाव का दायित्व ठेकेदार का होगा एवं इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने पर इसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
15. मैस में काम आने वाली सामग्री यथा, गैस, बर्तन फ्राकरी, आदि ठेकेदार को लाने होंगे।
16. खाने व नाश्ते का समय संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर निश्चित किया जाता रहेगा।
17. मैस पूर्णतया शाकाहारी होगी, मैस में शराब, माँस एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ नहीं रखी जायेगी एवं इन वस्तुओं का सेवन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
18. निविदादाता को नाश्ते व भोजन की उच्च गुणवत्ता बनाये रखनी होगी। घी व दूध सरस अथवा अमूल का ही उपलब्ध करवाना होगा। गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी आने पर उसको भुगतान की जाने वाली राशि में से कटौती की जा सकेगी। कटौती की राशि के संबंध में संस्थान के निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम होगा।
19. निविदादाता को प्रत्येक माह में मासिक आधार पर छात्रों की उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
20. संस्थान द्वारा केवल मैस के उपयोग हेतु फर्नीचर उपलब्ध करवाया जावेगा जिसकी साफ–सफाई, रखरखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
21. निविदादाता बाहर के किसी भी व्यक्ति को खाना नहीं खिलायेगा।

22. भोजन छात्रावास के कमरों हेतु नहीं परोसा जावेगा किन्तु किसी विद्याथी के बीमार होने की स्थिति में वार्डन द्वारा सूचित किये जाने पर उपयुक्त भोजन की व्यवस्था की जा सकेगी।
23. निविदादाता द्वारा भोजन निर्माण में काम आने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता निश्चित की जायेगी एवं खाने के कारण किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की फूड पॉईजनिंग/बीमारी यदि होती है, तो इस सम्बन्ध में समस्त दायित्व निविदादाता का होगा।
24. भोजन के मीनू आदि में किसी प्रकार के बदलाव हेतु सचिव एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
25. दिसम्बर एवं जून माह में संस्थान में अवकाश होने पर विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक कम हो जाने के उपरान्त भी मैस संचालित करनी होगी। निविदादाता को उपस्थित विद्यार्थियों व संकाय सदस्यों को भोजन आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा। ऐसी स्थिति में संस्थान द्वारा विद्यार्थियों की संख्या 20 से भी कम हो जाने के उपरान्त भी ठेकेदार को माह में कम से कम 20 विद्यार्थियों (प्रतिदिन) के भोजन की राशि का भुगतान किया जायेगा।
26. निविदादाता का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर या किसी शर्त या आदेश का उल्लघंन पाये जाने पर संस्थान द्वारा पन्द्रह दिन के नोटिस पर निविदादाता को कार्य से हटाने का अधिकार संस्थान को होगा।
27. निविदादाता व उसके सहायक कर्मचारियों के संस्थान में प्रवेश के सबंध में समस्त अधिकार संस्था में निहित होंगे। निविदादाता संस्था द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करेगा एवं छात्रावास परिसर में किचन, हॉल, स्टोर, डाईनिंग हॉल में ठेकेदार की उपस्थिति संस्थान की ओर से निश्चित कार्य के लिये ही होगा।
28. निविदादाता द्वारा जो भी सहायक कर्मचारी रखे जायेगे, उनका नियोक्ता निविदादाता स्वयं होगा और उनके संबंध में समस्त प्रकार के नियमों का पालन करने का दायित्व निविदादाता का होगा।
29. निविदादाता के कार्य से संस्थान/विद्यार्थिंयों/अन्य को कोई भी क्षति होगी तो उसका दायित्व निविदादाता का होगा।
30. संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को क्राफ्ट ट्यूर पर ले जाने के कारण, सम्बन्धित विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुसार निविदादाता को किये जाने वाले भुगतान में अनुपातिक आधार पर कटौती की जावेगी।

31. विद्यार्थियों के संस्थान से बाहर अध्ययन हेतु जाने की स्थिति में निविदादाता द्वारा इन विद्यार्थियों के लिए पैक्ड लंच उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु वार्डन द्वारा निविदादाता को पूर्व सूचना दे दी जायेगी।
32. संस्थान के विद्यार्थियों के समय–समय पर क्राफ्ट विजिट, एनजीओ, इन्टर्नशिप एवं डिप्लोमा प्रोजेक्ट हेतु जयपुर से बाहर जाने पर निविदादाता को किये जाने वाले भुगतान में से कटौती की जायेगी।
33. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
34. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक/सचिव भारतीय शिल्प संस्थान को होगा।
35. संस्थान न्यूनतम निविदादाता को मैस ठेका देने को बाध्य नहीं होगा।
36. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भारतीय शिल्प संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
37. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

मुझे उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर

तिथि :–

स्थान :–